



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2019/ज्येष्ठ 28, 1941

No. 360]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2019/JYAISTHA 28, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2019

सं. 42/2019- सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 429(ब).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28 की उपधारा 7(क) और धारा 124 के दूसरे परंतुक के साथ पठित धारा 157 की उपधारा (2) के उपवाक्य (च) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:—

- संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग तथा प्रारम्भ.** — (1) इन विनियमों को सीमाशुल्क (पूरक नोटिस) विनियम, 2019 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- परिभाषाएँ.** — (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो,-
(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, (52 का 1962) 1962 से है;
(ख) 'बोर्ड' से अभिप्राय केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड से है।
(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनका प्रयोग इन विनियमों में तो हुआ हो लेकिन वे यहाँ परिभाषित ना हो कर उक्त अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अभिप्राय होगा जो इनके लिए उक्त अधिनियम में दिया गया हो।
- प्रयोज्यता.** - ये विनियम उन नोटिसों पर लागू होंगे जिनको इस अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के उप-वाक्य (क) या उप-वाक्य (4) के अंतर्गत या धारा 124 के दूसरे परंतुक के अंतर्गत जारी किए गए हो। इनमें वे नोटिस भी आते हैं जिनका इन विनियमों के लागू होने की तारीख तक अधिनिर्णय ना हुआ हो।
- ढंग एवं परस्थितियाँ जिनके अंतर्गत पूरक नोटिस जारी किया जा सकता है.**— (1) जहां कोई भी नोटिस उक्त अधिनियम की धारा 28 या 124 के अंतर्गत जारी किया गया हो वहाँ किसी भी यथोचित अधिकारी के द्वारा निम्नलिखित परस्थितियों में पूरक नोटिस जारी किया जा सकता है:
(क) यदि ऐसे नोटिस में मांगी गयी राशि की प्रमात्रा में कोई अंतर हो, इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें न्याय निर्णयन प्राधिकारी में बदलाव किए जाने की जरूरत हो;

- (ख) उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इस मामले में आरोपित व्यक्ति के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्यवाही को लागू कराने के लिए;
- (ग) ऐसे नोटिस में उक्त अधिनियम की किसी अतिरिक्त धारा/ धाराओं को लागू कराने के लिए;
- (घ) यदि ऐसा कोई अतिरिक्त साक्ष्य हो जिसका कि इस मामले पर खास प्रभाव पड सकता हो।
- (2) जहां कोई नोटिस उक्त अधिनियम की धारा 28 या धारा 124 के अंतर्गत जारी किया गया हो, वहाँ पूरक नोटिस को उक्त अधिनियम की संगत धारा में निर्धारित समय सीमा के भीतर ही जारी किया जाएगा।

[फा. सं. 450/47/2019-सीमाशुल्क IV]

जुबैर रियाज़, निदेशक (सीमाशुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2019

No. 42/2019-Customs(N.T.)

G.S.R. 429(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 157, read with sub-section (7A) of section 28 and second proviso to section 124 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Customs (Supplementary Notice) Regulations, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —
 - (a) 'Act' means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
 - (b) 'Board' means the Central Board of Indirect Taxes and Customs.
 - (2) The words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Application. - These regulations shall apply to the notices issued under clause (a) of sub-section (1) or in sub-section (4) of section 28 or under second proviso to section 124 of the Act including those which have not been adjudicated on the date of enforcement of these regulations.
4. Manner and circumstances under which a supplementary notice may be issued.— (1) Where a notice has been issued under section 28 or section 124 of the Act, a supplementary notice may be issued by the proper officer in any of the following circumstances:
 - (a) in case there is a difference in the quantum of duty demanded in such notice including the cases which may necessitate change in adjudicating authority;
 - (b) for invoking penal action under the provisions of the Act against a person/persons in addition to those charged in such notice;
 - (c) for invoking additional section/sections of the Act in such notice;
 - (d) in case there is any additional evidence that may have a significant bearing on the outcome of the case.
 - (2) Where a notice has been issued under section 28 or section 124 of the Act, the supplementary notice shall be issued within the time limit as prescribed in the relevant sections of the Act.

[F. No. 450/47/2019- Cus IV]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)